

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय- मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

स्थान- झांसी

मोटर दुर्घटना वाद संख्या- 317 सन् 2015

दावा प्रस्तुति दिनांक-05/08/2015

1. श्रीमती विनीता पत्नी स्व. श्री राजेश कुमार सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष
 2. कु. आयुषी पुत्री स्व. श्री राजेश कुमार सिंह उम्र लगभग 05 वर्ष
 3. सूर्याश तनय स्व. श्री राजेश कुमार सिंह उम्र लगभग 02 वर्ष
 4. किशोरी लाल तनय श्री विशन सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष
 5. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री किशोरी लाल उम्र लगभग 50 वर्ष
 6. अरविन्द पुत्र श्री किशोरी लाल उम्र लगभग 24 वर्ष
- याची सं. 2 लगायत 3 जरिये संरक्षिका श्रीमती विनीता
समस्त निवासीगण ग्राम पाली थाना रक्सा जिला झाँसी

..... याचीगण

बनाम

1. आनन्द सिंह सोलंकी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी नि. थापक बाग थाना कोतवाली जिला झाँसी
.....वाहन मालिक एवं चालक वाहन सं. यू.पी. ७० सी वाई ५५५६ (सफारी)
2. दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय प्रबन्धक कचहरी चौराहा झाँसी
.....बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी. ७०सी वाई ५५५६ (सफारी)
..... विपक्षीगण

Advocate for the Petitioners Sri. Pramod Mishra

Advocate for the OP 1 Sri. Mhd. Shamim Khan

Advocate for the OP 2 Sri Arun Srivastwa

टिप्पणी- जो पते कि ऊपर दिये गये है यह पक्षकारों ने को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये है।

दावा अंतर्गत धारा- 166 व 140 मो० व्ही० एक्ट

मुबलिग के लिए दावा- ₹92,50,000

आवेदक के लिए Sri Pramod Mishra अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार के लिये Sri Mhd. Shamim Khan, Sri Arun Shrivastav अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद के दिनांक 15.09.2020 को श्री चंद्रोदय कुमार पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण झांसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतद्वारा आविष्ट किया जाता है कि-

The Petition is partly allowed for the compensation amount ₹ 50,10,447 (Fifty Lac Ten Thousand Four Hundred Forty Seven) against OP No. 1. This amount has to be indemnified by the OP No. 2, The New India Insurance Company Limited, with 7.5% simple annual interest from the date of institution of the petition till actual payment/recovery. Out of this amount Petitioner Nos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 shall share in the ratio of 30, 20, 20, 10, 15, and 5 respectively. 75% of the shares of the Petitioners Nos. 1, 4, 5 and 6 shall be disbursed in the form of annuity for 5, 3, 3 and 5 years respectively and 25% shall be transferred through RTGS/NEFT in their bank accounts. Shares of minor petitioners No. 2 and 3 shall be invested in the Fix Deposit in any nationalized bank carrying highest interest up to their majority. The New India Insurance Company Limited is ordered to transfer the compensation amount with interest within 30 days from today in the Tribunal's Punjab National Bank Account No. 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 through RTGS/NEFT. Transaction number with MACP number shall be communicated by the Insurance company on po@mactjhansi.in and mactjhansi@gmail.com

23.11.2020

(Chandroday Kumar)
Presiding Officer
Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi